न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 22/2019

1. हुणताराम उर्फ हितेश कमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक : 16.08.2019 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

उपस्थितिः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता, अपीलांट

राजपेरोकार अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

निर्णय **दिनांक :20.09.2021**

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपीलांट की व अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि चक 5 जे.बी.डी. तहसील रावतसर में संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/8 हिस्सा है कुल 5.161 हैक्ट भूमि है। जिसका अपीलांट अन्य खातेदारान के साथ खातेदार काश्तकार है ग्राम हरदासवाली तहसील रावतसर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि चक 5 जे.बी.डी. के प0न0 56/14 के किला न0 21 व 22 में रास्ता खुलवाने के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट के द्वारा जवाब नोटिस पेश किया गया तथा कथन किया गया कि अपीलांट व अन्य सहखातेदारान के खेत में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा ना ही कभी चालू रहा है और ना ही कभी कोई आवागमन रहा है तथा मौके पर प्रार्थीगण की ग्वार की फसल खड़ी है तथा प्रार्थीगण के खेत के पास से अन्य स्वीकृत शुद्धा रास्ते से आवगमन करते है अब प्रार्थी के किला न0 21 व 22 में ग्वार की फसल काश्त है तथा ना ही प्राथीगण के द्वारा कोई रास्ता बंद नहीं किया गया है। बाद जवाब नोटिस रेस्पो0 के द्वारा दिनांक 16.08.2019 को अपीलांट की खड़ी फसल में से रास्ता निकालने के आदेश पारित किये गये है जो कतई गलत रूप से जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील हाजा पेश की जा रही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(I) अपलाधीन आदेश कतई गलत व विधि के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरित है तथा काबिल खारिजी के है।

(II) अपीलांट द्वारा अपने जवाब नोटिस में यह स्पष्ट किया कि अपीलांट के खेत में से कोई स्वीकृत रास्ता नही है बावजूद इसके रास्ता खुलवाने के आदेश गलत रूप से पारित किया गया है।

(III) अपीलांट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपीलांट के खेत में मौका पर ग्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है बावजूद इसके रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट के खेत में रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये है जो विधि के मुलभूत सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिल खारिज के है।

(IV) अपीलांट के खेत में ना तो कोई स्वीकृत रास्ता है तथा ना ही कभी कोई आवागमन रहा है तथा ना ही रास्ता रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पो जो स्वयं भू–धारी है तथा राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता ना होते हुए भी रास्ता खुलवाने के आदेश पारित कर कानूनी भुल पारित की है।

(V) अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि में करीब 2 माह पूर्व ग्वार काश्त किया था जो अब फसल पकने पर है ऐसी सूरत में अपीलांट के खेत में से रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये है जो गलत व विधि विरूद्ध तथा काबिल मन्सुखी है।

(VI) रेस्पो0 के द्वारा स्वयं ही बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये है जो कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो काबिल मन्सुखी के है।

(VII) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के भी उक्त तथ्य स्वीकार किया है कि मौके पर ग्वार फसल काश्त है बावजूद इसके रास्ता खोलने के आदेश पारित कर कानूनी भुल कारित की है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की व अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि चक 5 जे.बी.डी. तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रावतसर में संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। जिसमें अपीलांट का 1/8 हिस्सा है तहसीलदार रावतसर ने प्रार्थना पत्र के आधार पर रास्ता खुलवाने का आदेश दे दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 255 की धारा ए के तहत रास्ते संबंधी प्रकरणों को सुनने का अधिकार उपखण्ड न्यायालय को है। तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश दिये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 16.08.2019 को जारी आदेश निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता राजपेरोकार ने रेस्पो0 की तरफ से बहस में निवेदन किया कि आदेश दिनांक 16.08.2019 विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मात्र अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1009 दिनांक 16.08.2019 की प्रति उपलब्ध है। पक्षकारों की सुनवाई एवं साक्ष्य तथा मौका निरीक्षण संबंधी रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा ना ही बहस के समय प्रस्तुत किये है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को समुचित रूप से नहीं सुना गया है। सभी सहखातेदारों/पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2019 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं मौका निरीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक : 20.09.2021 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

20/9/2021

(भागीरथ शर्मा, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)